(d) The Electricity Laws (Amendment) Bill 1997, was introduced in the last session of the Parliament to amend the Indian Electricity Act. 1910 and Electricity (Supply) Act. 1948, widen the scope for private investment in transmission projects. The Bill is under the consideration of the Standing Committee on Energy.

Power Requirement by 2000 AD

575. SHRI SHIV CHARAN SINGH: Will the MINISTER OF POWER be pleased to state:

(a) what is the expected requirement of power in the country by 2000 AD and what is the expected generation by them;

(b) whether Government are planning to generate power for industry through atomic/nuclear generation; and

(c) if so, details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) The projected peak load and energy requirement in the country by the year 2000 A.D. as per the 15th Electric Power Survey Report is 84466 MW and 502254 MU respectively. Demand for power in the Ninth Plan is to be finalised. The expected generation by 2000 A.D. would depend upon the Ninth Plan power programme which is under finalisation.

(b) and (c) Subject to the budgetary support availability of sites and other relevant techno-economic considerations, nuclear power would be promoted to supplement other conventional and non-conventional sources of energy.

मध्य प्रदेश में विद्युत केन्द्र

576. **श्री एस० एस० सुरजेवाला:**
श्री अजीत जोगी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने विद्युत केन्द्र/उपकेन्द्र हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन क्षमता में वर्ष-वार कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या सरकार इन विद्युत केन्द्रों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार भगतराम अलघ): (क) एनटीपीसी की 2 ताप विद्युत स्टेशन समेत 7 ताप विद्युत स्टेशन और 6 जल विद्युत स्टेशन (मिनि और माइको प्लान्ट को छोडकर) मध्य प्रदेश में स्थापित है। मार्च 1997 की स्थितिनुसार मध्य प्रदेश में 1661 सब-स्टेशन (ई एच वी और एच वी) और 164877 वितरण ट्रांसफार्मर सब स्टेशन मौजूद है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

निम्न तिथियों के अनुसार	अधिष्ठापित क्षमता			वर्ष के दौरान क्षमता अभिवृद्धि
	केन्द्रीय क्षेत्र	राज्य क्षेत्र	कुल	
1993-94 (31.3.94)	3360	3783	7143	हसदेव बंगो में क्रमश दिनांक 21.11.94 और 11.1.95 को 240 मे०वा० जल विद्युत यूनिटों के चालू किए जाने के कारण 80 मे० वा० की अभिवृद्धि
1994-95 (31.3.95)	3369	3863	7223	
1995-96 31.3.96)	3360	3863	7223	—
1996-97 (31.3.97)	3360	3863	7223	—